M-CTP/D.No. 371

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 25th September, 2013

S.O.   (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Meghalaya AIDS Control Society a body constituted by the Government of Meghalaya in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

"Amount received in the form of Grants-in-Aids from the Government of India".

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012 and 2012-2013 and shall be applicable for the financial years 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016.

3. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

a) the Meghalaya State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
b) the activities and the nature of the specified income of the Meghalaya AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial year; and
c) the Meghalaya AIDS Control Society files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

4. The grants received by the said society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No.78/2013 (F.No.196/76/2012-ITA.I]

Deepshikha
(Deepshikha Sharma)
Deputy Secretary to the Government of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

Sl. Ajay
26/9/13

[भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2013

का.आ. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मेघालय एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, मेघालय सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय, को, उक्त सोसाइटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सम्बंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

" केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;"

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के लिए लागू किया हुआ माना जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात:

(क) मेघालय राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) मेघालय राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय के स्वरूप पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तनीय रहते हैं; तथा

(ग) मेघालय राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

4. उक्त सोसाइटी को प्राप्त होने वाली अनुदानों की राशि को मौजूदा प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा और उपयोग में लाया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या 78 /2013 (फा.सं. 196/76/2012-आई टी ए-I)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।